

राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग)

क0एफ4()MTW/विधि/पंरा/2016/874

जयपुर,दि० 23.11.2016

::: आदेश ::::

विभागीय समसंख्यक परिपत्र क0 832 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा निर्देशित ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक अपरिहार्य कारणों से स्थिगत किया जाता है । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाये तथा किसी प्रकार के आवेदन भी प्राप्त नहीं किये जायें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।

2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।

- 4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना।

7. जिला कलेक्टर्स – समस्त।

- 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद —समस्त।
- 9. विकास अधिकारी समस्त।
- 10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव